न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी– मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या– 2024/135

कैलाशचन्द आत्मज बद्रीलाल जाति– ब्राहम्ण, निवासी– चेचट तहसील रामगंजमंडी जिला कोटा, राज0।

– अपीलांट

बनाम

1. सत्यनारायण आत्मज बद्रीलाल जाति– ब्राहम्ण, निवासी– चेचट तहसील रामगंजमंडी जिला कोटा, राज० हाल निवास– बाफना पेट्रोल पम्प के पीछे, जितेन्द्र भारती एडवोकेट के मकान के पास, नारायण भवन, रामगंजमंडी जिला कोटा, राज०।
2. दी स्टेट ऑफ राजस्थान जर्ये तहसीलदार रामगंजमंडी हाल तहसीलदार चेचट (नवसृजित तहसील) जिला कोटा, राज०।

–रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस–
1. श्री वीरेन्द्र कुमार साहू, अभिभाषक अपीलांट की ओर से ।
2. श्री रामबाबू मालव, अभिभाषक रेस्पो0 कम 01 की ओर से।

निर्णय दिनांक 28.03.2025

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अतंर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी जिला कोटा के प्रकरण संख्या 04/2019 में पारित निर्णय दिनांक 31.05.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि वादी की आराजी वाके माल ग्राम चन्द्रपुरा तहसील रामगंजमण्डी में स्थित खाता संख्या 299 की खसरा नं. 349 की रकबा 0.97 हेक्टर, खसरा नंबर 350 की रकबा 0.01 हेक्टर कुल किता 2 की रकबा 0.98 हेक्टर भूमि स्थित है। जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी नंबर 01 का 1/2 हिस्सा स्थित है। जिस पर वादी अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। वादी ग्राम चेचट का निवासी हैं। वादी की आराजी चेचट से इकलिंगपुरा जाने वाली सडक से प्रतिवादी नंबर 01 की आराजी में होकर काफी समय से निकलता चला आ रहा है। जो अपनी आराजी ग्राम चन्द्रपुरा में स्थित भूमि पर आते जाते है। उसी रास्ते से वादी भी आता जाता रहा है। प्रतिवादी नंबर 01 द्वारा कुछ समय पूर्व रास्ते बाबत् भूमि ग्राम चन्द्रपुरा खसरा नंबर 345 की रकबा 0.59 हेक्टर भूमि में से 0.01 हेक्टेयर बतरफ दक्षिण पूर्वी कोना, खसरा नंबर 346 की रकबा 0.13 हेक्टर कुल 2 कित्ता की

रकबा 0.14 हेक्टर भूमि पक्की सडक चेचट से इकलिंगपुरा जाने वाली के पास की भूमि क्रय कर रास्ते के उपयोग में प्रतिवादी नंबर 01 ले रहा है। वादी अपने खसरा नंबर 349, 350 की आराजी पर आने जाने के लिए प्रतिवादी नंबर 01 की आराजी खसरा नंबर 345, 346 की उत्तरी मेंड से होकर दक्षिण की तरफ अपनी आराजी पर आता जाता था। परन्तु प्रतिवादी नंबर 01 द्वारा दादागिरी, प्रभावशील के बल पर रास्ता अवरूद्ध करने के प्रयास में है। पहले प्रतिवादी का खेत आता है बाद में वादी का खेत आता है। काफी समय से अपनी कृषि करने का सामान, हल, कुली. ट्रेक्टर, पानी के पाईप निकालना इत्यादि इसी रास्ते से होकर कृषि कार्य कर रहा था। वादी अपने खेत पर जाने के लिए प्रतिवादी नंबर 01 के खेत की उत्तरी मेड से होकर इस रास्ते का उपयोग कर रहा है। गत कुछ समय पहले वादी खेत पर गया तो प्रतिवादी नंबर 01 ने निकलने से मना कर दिया तथा लडाई झगडा करने पर उतारू हुआ एवं पत्थर की दीवार कर फाटक लगा दी। वादी वृद्ध व्यक्ति होने के कारण कुछ नही कर पाया। वादी द्वारा नायब तहसीलदार साहब के यहाँ रास्ता खुलासा करवाये जाने बाबत् निवेदन किया तो श्रीमान द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत कार्यवाही कर अनुतोंष प्राप्त करने की सलाह दी गयी। वादी के लिये यह आवश्यक हो गया है कि माननीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर अन्तर्गत धारा 251ए आर०टी०एक्ट० के तहत रास्ता प्राप्त कर रास्ता खुलासा करवाया जावें। वादो का प्रार्थना–पत्र प्राइमाफेसाई है तथा सुविधाओं का संतुलन भी वादी के पक्ष में है। वाद कारण दिनांक 16.10.2019 को नकल जमाबन्दी, नक्शा प्राप्त कर श्रीमान नायब तहसीलदार साहब के यहाँ निवेदन करने पर, कार्यवाही नही करने तथा प्रतिवादी नंबर 01 द्वारा रास्ते मे निकलने पर लडाई झगडा करने पर उतारू होने जिसकी रिपोर्ट श्रीमान एस०पी० साहब, पुलिस थाना अधिकारी चेचट में करवायी गयी। परन्तु श्रीमान एस०पी० साहब, पुलिस थाना अधिकारी चेचट द्वारा रास्ता खुलासा नहीं करवाया गया। प्रतिवादी नंबर 01 द्वारा रास्ते में निकलने से रोकने की धमकी देने, गाली गलौच करने पर हर समय उत्पन्न हो रहा है। वादग्रस्त आराजी वाके माल ग्राम चन्द्रपुरा तहसोल रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज०) में स्थित होने के कारण माननीय न्यायालय को श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है। दाद का चुल्याकंन 10 लाख रू० किया जाकर उचित न्याय शुल्क पर अवधि भध्य प्रस्तुत है। भूमि धारक राज्य सरकार होने से तहसीलदार साहब रामगंजमण्डी को आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। अतः वाद–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का रास्ता पूर्व की भांती प्रतिवादी नंबर 01 की उत्तरी मेड से होकर आराजी खसरा नंबर 345, 346 में से दक्षिणी मेड से निकलता आ रहा था उसी स्थान पर प्रतिवादी नंबर 01 को मौके पर जाकर रास्ता चालू रखने तथा नियमानुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत कार्यवाही कर अनुतोंष प्राप्त करने की राशि दिलवायी जाकर भविष्य में जबरन बंद अवरूद्ध नही करने हेतु पाबंद फरमाया जावे।

3. उक्त आशय का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 31.05.2024 को प्रार्थी रेस्पो0 सं0 1 की ओर से

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्रार्थी रेस्पो0 सं0 01 की भूमि में आने जाने हेतु रास्ता खसरा नं0 780/345 एवं खसरा नं0 346 की भूमि में कायम किए जाने का निर्णय पारित किया।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.05.2024 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.05.2024 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.05.2024 को निरस्त फरमाया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

6. अपील के विचाराधीन रहते हुए विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की ओर से एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी प्रस्तुत किया तथा अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलांट्स उक्त अपील में निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहते है जिनका अपील के समुचित निर्णय के लिए प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हैं। विचारण न्यायालय के समय लम्बित कार्यवाही के दौरान अपीलान्ट सिविल न्यायालय का निर्णय व डिक्री व इजराय की कार्यवाही, मौका रिपोर्ट, गूगल मैप आदि प्रस्तुत नही हो सके थे, वह दस्तावेज न्याय निर्णय के लिये आवश्यक दस्तावेज हैं। अंत में अधिवक्ता अपीलांट ने उपरोक्त दस्तावेजात को प्रस्तुत किये जाने का एवं रिकार्ड पर लिये जाने का आदेश प्रदान किये जााने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 के साथ जो भी दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है, वह उक्त अपील में निर्णय पारित करने में किसी भी प्रकार से सहायक नहीं है। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज सुसंगत नहीं है। अंत में अधिवक्ता रेस्पो0 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी को मय हर्जा खर्चा खारिज किये जाने का निवेदन किया।

हमने प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी एवं उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। उभयपक्षकारान के विद्वान

अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज राजस्व रिकार्ड एवं न्यायालय के दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपियां है जिन पर किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज प्रकरण से सुसंगत है अतः उक्त दस्तावेजों को रिकार्ड पर लिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों को रिकार्ड पर लिया जाता है।

7. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस मे अपील मेमो में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना मौके की रिपोर्ट मंगाये खसरा नम्बर– 780/345 रक्बा 0.01 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर– 346 रक्बा 0.13 हैक्टेयर में से 30 फीट का रास्ता दिये जाने में त्रुटि की हैं। उक्त आदेश मौके की स्थिति व व्यवहारिक दृष्टि से निष्पादन योग्य नही है, क्योकि रक्बा 0.01 हैक्टेयर 12 गुणा 75 वर्गफीट हैं, जिस पर 30 फीट का रास्ता किसी भी प्रकार से कायम नही किया जा सकता, खसरा नम्बर 345 का अपीलान्ट 0.01 हैक्टेयर का खातेदार हैं, जिसका वर्तमान नम्बर– 780/345 है, तथा खसरा नम्बर– 345 का कुल रक्बा 0.59 हैक्टेयर हैं, जिसमें से 0.01 हैक्टेयर अपीलान्ट के द्वारा कय करने के पश्चात् उसका नया खसरा नम्बर– 779/345 रक्बा 0.58 हैक्टेयर का खातेदार मधुसूदन था. जिसने जगदीश प्रजापति को विक्रय कर दी, इस प्रकार 0.01 हैक्टेयर में से 30 फीट का रास्ता कायम होना सम्भव नहीं हैं, मौके की रिपोर्ट मंगाये बिना उक्त आदेश पारित किया गया हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने खसरा नम्बर– 346 में से 0.13 हैक्टेयर भूमि पर 30 फीट का रास्ता कायम करने का आदेश पारित किया गया है, जबकि खसरा नम्बर– 346 पर चेचट एकलिंगपुरा जाने वाली मेजर डिस्ट्रीक सड़क (एमडीआर) श्रेणी की बनी हुई है. चूकिं अपीलान्ट ने खसरा नम्बर– 346 में से 0.13 हैक्टेयर भूमि कय की है, लेकिन मौके पर खसरा नम्बर 346 में से एमडीआर श्रेणी की सडक निकलने से अपीलान्ट की 0.13 हैक्टेयर भूमि भी मौके पर नहीं हैं, इस प्रकार 30 फीट का रास्ता कायम नही किया जा सकता. उक्त आदेश मौके की स्थिति के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट कम 1 के द्वारा चाहे गये अनुतोष से बढ़ाकर 30 फीट का रास्ता दिये जाने का आदेश पारित करने में त्रुटि की है। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के खसरा नम्बर– 349 व 350 संयुक्त खातेदारी की हैं, जिस पर संयुक्त रूप से सिविल न्यायाधीश रामगंजमंडी तहसील रामगंजमंडी जिला कोटा में वाद संख्या– 5/18, बउनवानी कैलाशचन्द्र, सत्यनारायण बनाम मधुसूदन आचार्य व जगदीश प्रजापत के विरूद्ध रास्ता हेतु प्रस्तुत किया था. जिसमें राजीनामें के आधार पर दिनांक 08.09.2018 को डिग्री होकर खसरा नम्बर 345, 346 में से 0.01 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर– 0.13 हैक्टेयर भूमि 10 फीट कदमी रास्ता हेतु राजीनामा हो चुका है. उक्त तथ्य को छिपाकर अधीनस्थ न्यायालय में 251 (ए) रा.टी.एक्ट. की कार्यवाही प्रस्तुत की गई। जो कि उक्त कार्य रेसज्यूडिकेटा का असर रखती हैं। अपीलान्ट ने डिकी दिनांक 08.09.2018 के विरुद्ध न्यायालय सिविल न्यायाधीश रामगंजमंडी जिला कोटा में इजराय

संख्या– 06/2022 प्रस्तुत कर रखी हैं. जिसमें उक्त इजराय की कार्यवाही में विवादित स्थल की मौका रिपोर्ट हेतु तहसील रामगंजमंडी, जिला कोटा को आदेश पारित किया, जिस पर न्यायालय का सहायक नाजिर, चार पटवारी पृथक–पृथक हल्के के एवं भू.अभि.नि. ने मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं, और इसका नजरी नक्शा न्यायालय में प्रस्तुत किया हैं, उस तथ्य को अधीनस्थ न्यायालय ने नजरअंदाज कर निर्णय पारित किया है। गूगल मैप के अनुसार भी मौके पर 30 फीट का कोई रास्ता नही है। उक्त अपील की सुनवाई का माननीय न्यायालय को श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है। अन्त में अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 31.05.2024 को खारिज फरमाये जाने का निवेदन. किया।

8. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने जो रास्ता अपीलांट की भूमि में कायम किया है वह रास्ता प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी की भूमि में आने–जाने हेतु एकमात्र रास्ता है। इसके अलावा कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता प्रार्थी रेस्पोडेन्ट की भूमि में आने जाने हेतु मौके पर विद्यमान नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत रास्ते के संबंध में मोका रिपोर्ट तलब की गई। प्रश्नगत रास्ते का मोका रिपोर्ट दिनांक 20.12.2022 को पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा विधिवत रूप से तैयार की गई है। उक्त मोका रिपोर्ट में भी प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की भूमि में आने जाने हेतु रास्ता अपीलांट की भूमि खसरा संख्या 780/345 व खसरा नम्बर 346 में होने का अंकन है। उक्त मोका रिपोर्ट दिनांक 20.12.2022 पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा विधि अनुसार तैयार की गई है, जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रश्नगत रास्ता अपीलांट की भूमि में कायम किये जाने का निर्णय पारित किया है जो विधि सम्मत है। प्रश्नगत रास्ता प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की आत्यांतिक आवश्यकता का रास्ता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी(सरकारी) नियम 1955 के नियम 68 से 70 की पालना करते हुए प्रश्नगत निर्णय दिनांक 31.05.2024 पारित किया गया है जो विधि सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.05.2024 विधि सम्मत है तथा इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खाारिज किए जाने योग्य है। अन्त में अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.05.2024यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

9. हमने उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। न्यायालय हाजा एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों एवं राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया। अपीलांट का कथन है कि प्रश्नगत रास्ता उसके खाते की खसरा नम्बर 780/345 रकबा 0.01 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 346 रकबा 0.13 हैक्टेयर में से 30 फीट कायम किया गया है परन्तु खसरा नम्बर 780/345 रकबा 0.01 हैक्टेयर में से 30

फीट का रास्ता मौके की स्थिति एवं व्यवहारिक दृष्टि से कायम किया जाना संभव नहीं है। अपीलांट का यह भी कथन है कि माननीय सिविल न्यायालय में प्रस्तुत वाद में अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट तथा अन्य पक्षकारान के मध्य प्रश्नगत रास्ते के सम्बंध में राजीनामा हो चुका है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश(क.ख.) में प्रस्तुत दीवानी वाद संख्या 5/2018 की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है। प्रश्नगत दीवानी वाद अपीलांट कैलाश एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 सत्यनारायण द्वारा प्रतिवादीगण मधुसूदन एवं जगदीश के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। उक्त दीवानी वाद संख्या 5/2018 में वादीगण द्वारा किए गए कथनों के कुछ अंश इस प्रकार है– "वादीगण का यह खेत पर आने जाने का रास्ता पूर्वजों के समय से ही ट्रेक्टर, बैलगाड़ी, सामद अन्य फसल व कृषि सामान आदि लाने ले जाने के लिए गांव चेचट से आराजी के पूर्व में लगी नदी पर बने पुल से होता हुआ अप्रार्थीगण के आराजी खसरा नम्बर 344 के पश्चिमी कोने से मुडकर दक्षिण की ओर ख़सरा नम्बर 345 व खसरा नम्बर 346 के मध्य से 10 फीट चौड़े है अपनी आराजी खसरा नम्बर 349 व खसरा नम्बर 350 पर सदैव साधिकार सुखाधिकार के रूप में शांतिपूर्वक बिना किसी रोक टोक के प्रतिवादीगण की ज्ञान में 50 वर्षों से भी अधिक समय से अपन खते खसरा नम्बर 349 के पश्चिमी कोने पर लगा हुआ पक्की दीवान में लोहे के गेट से आते जाते है।" अतः उक्त दीवानी वाद में स्वयं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कथन है कि वह अपने खाते की भूमि खसरा नम्बर 349 व 350 में आने जाने हेतु उनकी आराजी के पूर्व में लगी नदी पर बने पुल से होते हुए खसरा नम्बर 344 के पश्चिमी कोने से मुड़कर दक्षिण की ओर खसरा नम्बर 345 व खसरा नम्बर 346 के मध्य से 10 फीट चौड़े रास्ते का उपयोग करते हुए अपने खाते की भूमि पर आता जाता है। अतः हमारे मत में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के खाते की भूमि में आने जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता होना प्रकट होता है। चूंकि प्रश्नगत दीवानी वाद संख्या 5/2018 में अंकित तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के संज्ञान में आ चुके थे अतः ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वैकल्पिक रास्ते के बिन्दु को दृष्टिगत रखते हुए मौका रिपोर्ट तैयार करवाया जाना आवश्यक था। प्रश्नगत मौका रिपोर्ट दिनांक 20.12.2022 में वैकल्पिक रास्ता होने के सम्बंध में किसी प्रकार का अंकन नहीं किया गया है। अतः हमारे मत में प्रश्नगत मौका रिपोर्ट दिनांक 20.12.2022 वैकल्पिक रास्ते के बिन्दु को नजरअंदाज करते हुए तैयार की गई है जो त्रुटिपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत रिपोर्ट दिनांक 20.12.2022 पर अपीलांट अप्रार्थी को आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। हमारे मत में प्रश्नगत मौका रिपोर्ट दिनांक 20.12.2022 त्रुटिपूर्ण है तथा उक्त मौका रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के खाते की भूमि में रास्ता कायम किए जाने का जो आदेश अंकित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किए जाने योग्य है। हमारे मत में वैकल्पिक रास्ते के बिन्दु को दृष्टिगत रखते हुए उभयपक्षकारान की उपस्थिति में विवादित रास्ते की मौका रिपोर्ट तैयार करवाई जाना आवयश्यक है । साथ ही मौका रिपोर्ट पर उभयपक्षकारान को आपत्ति प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किए जाने के उपरांत प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण किया जाना आवश्यक है अतः अपील अपीलांट

आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

10. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वैकल्पिक रास्ते के बिन्दु को दृष्टिगत रखते हुए उभयपक्षकारान की उपस्थिति में विवादित रास्ते की मौका रिपोर्ट तैयार करवाई जावे तथा मौका रिपोर्ट पर उभयपक्षकारान को आपत्ति प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किए जाने के उपरांत राजस्थान काश्तकारी(सरकारी) नियम 1955 के नियम 68 से 70 की पालना करते हुए नवीन निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई हेतु दिनांक 26.05.2025 को स्वयं उपस्थित रहे।

11. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलंब लौटाई जाए।

12. निर्णय आज दिनांक 28.03.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

28/3/25

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा